

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 7th May, 2018

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396,398,399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) **Second** Amendment Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, (herein after refer to as the principal rules), for proviso to sub-rule (3) of rule 10, the following proviso shall be substituted.

“Provided that Registrar shall allow fifteen days’ time for re-submission in case of reservation of a name through web service – RUN for rectifications of defects if any.”

3. In the Principal rules, in the Annexure, in item I (Fee for filing under section 403 of the Companies Act, 2013,-

(a), for sub-item B, the following sub-item shall be substituted:-

"B. Following Table of additional fee shall be applicable for delay in filing of forms other than for increase in Nominal Share Capital or forms under section 92/ 137 of the Act.

TABLE

Sl. No.	Period of delays	Forms including charge documents
01	upto 15 days (sections 139 and 157)	One time
02	More than 15 days and upto 30 days (Sections 139 and 157) and upto 30 days in remaining forms.	2 times of normal filing fees
03	More than 30 days and upto 60 days	4 times of normal filing fees
04	More than 60 days and upto 90 days	6 times of normal filing fees
05	More than 90 days and upto 180 days	10 times of normal filing fees
06	Beyond 180 days	12 times of normal filing fees

Note.- The belated filing of documents/forms (including increasing in nominal capital and delay caused thereon) which were due to be filed whether in Companies Act, 1956 Act or the Companies Act, 2013 Act i.e due for filing prior to notification of these fee rules , the fee payable at the time of actual filing shall be applicable".

(b), after sub-item C, the following sub-item shall be inserted, namely:--

“D. For Forms under section 92 or 137:- (i) In case the period within which a document required to be submitted under section 92 or 137 of the Act expires **after 30/06/2018**, the additional fee mentioned in Table shall be payable:-

TABLE

Sl. No.	Period of delay	Additional fee payable (in Rs.)
01	Delay beyond period provided under Section 92(4) of the Act	One Hundred per day
02	Delay beyond period provided under Section 137(1) of the Act	One Hundred per day

(ii) In all other cases where the belated annual returns or balance sheet/financial statement which were due to be filed whether in the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013 the following additional fee mentioned in Table shall be payable:-


TABLE

Sl. No.	Period of delay	Additional fee payable (in Rs.) upto 30/06/2018	} plus Rs. 100 per day with effect from 01/07/2018
1	upto 30 days	2 times of normal filing fees	
2	More than 30 days and upto 60 days	4 times of normal filing fees	
3	More than 60 days and upto 90 days	6 times of normal filing fees	
4	More than 90 days and upto 180 days	10 times of normal filing fees	
5	Beyond 180 days	12 times of normal filing fees	

Note: (1) The additional fee shall also be applicable to revised financial statement or board's report under section 130 and 131 of the Act and secretarial audit report filed by the company secretary in practice under section 204 of the Act.

(2) The belated filing of documents/forms (including increasing in nominal capital and delay caused thereon) which were due to be filed whether in Companies Act, 1956 Act or the Companies Act, 2013 Act i.e due for filing prior to notification of these fee rules, the fee payable at the time of actual filing shall be applicable”.

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]


07/5/18

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

सा.का.नि..... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम अन्यथा उपबंधित के सिवाए, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 10 के उपनियम (3) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा।

“परंतु कि रजिस्ट्रार त्रुटि, यदि कोई हो तो, के शुद्धिकरण के लिए वेब सेवा - आरयूएन के माध्यम से किसी नाम को आरक्षित करने की दशा में पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए पंद्रह दिन का समय स्वीकृत करेगा।”

3. मूल नियमों में, उपाबद्ध में, मद 1 में (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 403 के तहत फाइलिंग आदि के लिए फीस) के लिए -

(क), उप-मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“ख अभिहित शेयरपूजी में वृद्धि के लिए या अधिनियम की धारा 92/137 के अधीन प्ररूपों को छोड़कर अन्य प्ररूपों को फाइल करने में हुई विलंब के लिए अतिरिक्त फीस की निम्नलिखित सारणी के अनुसार लागू की जाएगी।

सारणी

क्र. सं.	विलंब की अवधि	प्रभार दस्तावेजों सहित प्ररूप
1	15 दिन तक (धारा 139 और धारा 157)	एक बार
2	15 दिन से अधिक और 30 दिनों तक (धारा 139 और 157) और शेष प्ररूपों में 30 दिनों तक	सामान्य फाइलिंग फीस से 2 गुना
3	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस से 4 गुना
4	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस से 6 गुना
5	90 दिन से अधिक और 180 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस से 10 गुना
6	180 दिन से अधिक	सामान्य फाइलिंग फीस से 12 गुना

टिप्पण: दस्तावेजों/प्ररूपों (न्यूनतम पूंजी में वृद्धि और उसकी विलंब के कारणों सहित) की बकाया फाइलिंग, जो कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 में फाइल करने थे अर्थात् इन फीस नियमों की अधिसूचना से पहले फाइलिंग के लिए बकाया थे, के लिए वास्तविक फाइलिंग के समय देय फीस लागू की जाएगी।”

(ख), उप-मद (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

घ. धारा 92 या 137 के अधीन प्ररूपों के लिए - (i) अधिनियम की धारा 92 या 137 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज की अवधि तारीख **30.06.2018** के बाद समाप्त होने के मामले में, में उल्लिखित सारणी में अतिरिक्त फीस देय की जाएगी -

सारणी

क्र. सं.	विलंब की अवधि	देय अतिरिक्त फीस (रु में)
01	अधिनियम की धारा 92(4) के अधीन उपबंधित अवधि से अधिक दिन	सौ रुपए प्रतिदिन
02	अधिनियम की धारा 137(1) के अधीन उपबंधित अवधि से अधिक दिन	सौ रुपए प्रतिदिन

(ii) अन्य सभी मामलों में जहां बकाया वार्षिक कथन या तुलनपत्र/वित्तीय कथन जो कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 में फाइल किए जाने के लिए बकाया थे, तालिका में उल्लिखित निम्नानुसार अतिरिक्त फीस देय की जाएगी-

सारणी

क्र. सं.	विलंब की अवधि	30.06.2018 तक संदेय अतिरिक्त फीस (रु में)	01.07.2018 से सामान्य फाइलिंग फीस के अलावा अतिरिक्त 100/- प्रतिदिन
1.	30 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस का 2 बार	
2.	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस का 4 बार	
3.	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस का 6 बार	
4.	90 दिन से अधिक और 180 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस का 10 बार	
5.	180 दिन से अधिक	सामान्य फाइलिंग फीस का 12 बार	

टिप्पण : (1) अतिरिक्त फीस अधिनियम की धारा 130 और 131 के अधीन पुनरीक्षित वित्तीय कथन या बोर्ड की रिपोर्ट के लिए और अधिनियम की धारा 204 के तहत व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा फाइल की गई अनुसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए भी लागू की जाएगी।

टिप्पण : (2) दस्तावेजों/प्ररूपों (न्यूनतम पूंजी में वृद्धि और उसकी विलंब के कारणों सहित) की प्राण्य फाइलिंग, जो कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 में फाइल करने थे अर्थात् इन फीस नियमों की अधिसूचना से पहले फाइलिंग के लिए प्राण्य थे, के लिए वास्तविक फाइलिंग के समय संदेय फीस लागू की जाएगी।”

[फा. सं. 01/16/2013 सीएल.V (पार्ट.1)]

के.वी.आर.मूर्ति
07/5/18
के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सा.का.नि. 268(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और उसके पश्चात् इसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया -

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि.297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि.122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि.438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि.493(अ)	06.05.2016
5.	सा.का.नि.48(अ)	20.01.2018